राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)
(Ph. No. 0141-2227229, E-mail Id: pdme2k.rdd@rajasthan.gov.in)

क्रमांक प.5(7)ग्रावि/अनुभाग–8/सीएमआईएस /2019 जयपुर, दिनांक : 10/12/2019

बैठक का कार्यवाही विवरण

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के राजस्थान सम्पर्क पोर्टल (181), माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा व्यक्तिगत जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरण एवं सीएमआईएस पर नियंत्रित बजट घोषणा, मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा, निर्देश एवं जन घोषणा पत्र की क्रियान्विति के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ग्रा.वि. एवं प.रा.वि. की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा सभी अधिकारियों को प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये।

1 मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित उक्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किये जावें। पंचायतीराज में यह कार्य श्री गौरव चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव (प्रशासन–1) द्वारा सम्पादित करने के निर्देश दिये गये। महात्मा गांधी नरेगा में आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा अपने स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करेगें। ग्रामीण विकास के लिए परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो.एवं. मू) पूर्व से ही कार्य सम्पादित कर रहे हैं। सभी अनुभागों से समन्वय का कार्य परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो.एवं.मू) द्वारा किया जायेगा।

2 माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा व्यक्तिगत जन सुनवाई में प्राप्त एक–एक प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की एवं संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये कि प्रत्येक प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करें तथा रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

3 राजस्थान सम्पर्क पोर्टल (181) में राज्य स्तर के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जावे। आवास योजना के 619 प्रकरणों के संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास को निर्देश दिये।

4 पंचायती राज के सबसे अधिक प्रकरण लम्बित हैं। संबंधित अधिकारी इसे गंभीरता से लेवें एवं इनका शीघ्र निस्तारण करावें।

5 सीएमआईएस बजट घोषणा, मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा, मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश एवं जन घोषणा पत्र में दर्ज एक–एक प्रकरण की समीक्षा की गयी। जिन प्रकरणों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उसमें टास्क पूर्ण करते हुए अद्यतन करने के निर्देश दिये साथ ही प्रत्येक सोमवार को सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक कर प्रकरण निस्तारण की समीक्षा की जावे एवं समीक्षा उपरान्त प्रगति से अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, ग्रा.वि.एवं पंरावि को अवगत कराने का निर्णय लिया गया।

6 आगामी समय में मुख्यमंत्री महोदय स्तर से विभाग की फ्लैगशिप योजनाओं एवं विभागीय अन्य योजनाओं की समीक्षा प्रस्तावित है। अतः संबंधित अधिकारी अपनी–अपनी योजनाओं की गहन समीक्षा कर लेवें तथा अद्यतन प्रगति रिपोर्ट तैयार रखें।

7 पंचायती राज से संबंधित प्रकरणों को पंचायती राज में दर्ज प्रकरणों की सूची अनुसार समीक्षा करते हुए निर्देश दिये गये कि सार गर्भित शब्दों में प्रति उत्तर तैयार कर प्रकरणों को विचाराधीन/निर्णयानुसार एवं सम्बंधित विभाग में प्रेषित करने हेतु अवगत करावें।

8 पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ सहायक भर्ती व महात्मा गांधी नरेगा योजना में पंचायत सहायकों की भर्ती के सम्बंध में अधिक शिकायतें प्राप्त होती है, इसमें संबंधित अधिकारी को अपने स्तर से समीक्षा कर जवाब तैयार करने के निर्देश दिये गये।

9 सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणो में तीन माह से छः माह की अवधि तक के प्रकरणों में समस्त योजना प्रभारी स्मरण पत्र जारी करें, प्रकरणों का जवाब प्राप्त कर निस्तारित करावें।

10 संभागीय आयुक्त कार्यालय के माध्यम से जांच कराये जाने की व्यवस्थायें यथावत रखी जावें। संभागीय आयुक्त कार्यालय को इस हेतु अतिरिक्त कार्मिक उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही प्रारंभ की जाये। संभागीय आयुक्त द्वारा जिला कलक्टर के माध्यम से जांच कराई जाती है, जिसमें अनावश्यक विलंब होता है। ऐसी स्थिति में जांच संभागीय आयुक्त द्वारा सीधे उपखण्ड अधिकारी से कराये जाने के स्पष्ट प्रावधान हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने बाबत अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, द्वितीय (जांच) पंचायती राज को निर्देश दिये।

11 पंचायत समिति की बैठकों में जिला स्तर के अधिकारियों को भाग लेने के निर्देश हैं। कुछ जिलों में पंचायत समितियों की संख्या अधिक है। ऐसी स्थिति में जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा पंचायत समितियों की बैठकों में भाग लेने के कारण जिला स्तर के अधिकारी स्तर का स्वयं का कार्य बाधित रहने की स्थितियां उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में जिला परिषद की बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी, पंचायत समितियों की बैठकों में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं ग्राम पंचायत की बैठकों में ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी/कार्मिकों के भाग लिये जाने संबंधी निर्देश जारी करने बाबत निर्णय लिया गया।

12 पंचायत समिति/ ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों के उद्घाटन के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये जावे। पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा स्वीकृत/निर्मित विकास कार्यों के शिलान्यास/ उद्घाटन के संबंध में संबंधित पंचायतीराज संस्था द्वारा निर्णय लिया जावे, परन्तु शिलान्यास/उद्घाटन किसी संवैधानिक पदाधिकारी यथा माननीय मंत्री, सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान या सरपंच से ही करवाया जावें। सांसद/विधायक योजना एवं सांसद आदर्श ग्राम के कार्य का शिलान्यास/उद्घाटन संबंधित सांसद, विधायक या उनकी सहमति से अन्य से कराया जावे। इस आशय के परिपत्र का प्रारूप माननीय मंत्री जी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें।

13 बजट घोषणा अनुसार विलेज मास्टर प्लान बनाये जाने के दिशा निर्देशों में 31 दिसम्बर 2019 समय सीमा निर्धारित की गयी है, इस समय सीमा में परिवर्तन करते हुए 31 मार्च/ 30 जून 2020 करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

14 सीएमआईएस पोर्टल पर टास्क पूर्ण करने की अंकित तिथि में भी परिवर्तन करने बाबत निर्देश दिये गये। सीएमआईएस पोर्टल पर अभी यह तिथि अम्बेडकर भवन निर्माण, विलेज मास्टर प्लान तैयार करने की तिथि 2023 अंकित की गयी है। इन तिथियों में शीघ्र परिवर्तन किया जाये।

15 बी.पी.एल. के पुनः सर्वे हेतु भारत सरकार को पत्र लिखने के निर्देश दिये गये।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

10/11/19

(हितबल्लभ शर्मा)
परि. निदेशक एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2 निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, (एलपी एण्ड एसएचजी), राजीविका।
3 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज।
4 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5 निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण।
6 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि।
7 आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण।
8 अतिरिक्त आयुक्त–ा, ईजीएस, ग्रावि।
9 परियोजना निदेशक एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस, ग्रावि।
10 संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन–1 & 2) पंचायती राज।
11 संयुक्त शासन सचिव (प्रशिक्षण/विधि) पंचायती राज।
12 संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास।
13 संयुक्त शासन सचिव एवं उपायुक्त (जांच), पंचायती राज।
14 परि. निदे. एवं उप सचिव (एसएपी/मो. एवं मू./LP & SHG), ग्रामीण विकास।
15 परि. निदे. (LP & SHG), राजीविका।
16 स्टेट नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण।
17 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास/ईजीएस/पंचायती राज।
18 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण।
19 संयुक्त निदेशक (मो.), पंचायती राज।
20 प्रभारी, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल, ग्रावि/पंरावि/नरेगा।

10/11/19

परि. निदेशक एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)